SI.No. 20

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2006/श्रावण 26, 1928

No. 372]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2006/SRAVANA 26, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 481(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उपधारा (1) और धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताओं, शक्तियों और कृत्यों के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षकों की अर्हताएं, शक्तियां और कृत्य नियम 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं--(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) "अपील प्राधिकारी" से विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में मुख्य विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है और मुख्य विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध किसी अपील के संबंध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(घ) "निरीक्षक" से यथास्थिति, कोई मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किए गए किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. नियमों का लागू होना– ये नियम निम्नलिखित के संबंध में लागू होंगे :

(i) केन्द्रीय सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन कोई उत्पादन कंपनी ;

(ii) कोई अंतरराज्य उत्पादन, पारेषण, व्यापार या विद्युत का प्रदाय और किन्हीं खानों, तेल क्षेत्रों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, विमान पत्तनों, डाक, प्रसारण केन्द्रों के संबंध में और कोई रक्षा कार्य, डाकयार्ड, न्यूक्लीय विद्युत प्रतिष्ठापन ;

(iii) राष्ट्रीय लोड पारेषण केन्द्र और प्रादेशिक लोड पारेषण केन्द्रों ; और

(iv) केन्द्रीय सरकार से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन कोई संकर्म या कोई विद्युत प्रतिष्ठापन ।

4. मुख्य विद्युत निरीक्षक के लिए अर्हता– कोई व्यक्ति किसी मुख्य विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक-

(क) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरी में कोई डिग्री या उसके समतुल्य न हो ; और

(ख) वह कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से विद्युत इंजीनियरी के व्यवसाय में न लगा हो जिसमें से उसने दो वर्ष से अन्यून किसी विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी कर्मशाला या उत्पादन या पारेषण या विद्युत वितरण या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न बिताए हों ।

5. विद्युत निरीक्षकों के लिए अर्हताएं–(1) कोई व्यक्ति किसी विद्युत निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक-

(क) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या संस्था से विद्युत इंजीनियरी में कोई डिग्री या उसके समतुल्य न हो ; और

(ख) वह कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए नियमित रूप से विद्युत इंजीनियरी के व्यवसाय में न लगा हो जिसमें से उसने एक वर्ष से अन्यून किसी विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी कर्मशाला या उत्पादन या पारेषण या विद्युत वितरण या अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन में किसी उत्तरदायी हैसियत में न बिताए हों ।

(2) विद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और ऐसा प्रशिक्षण सरकार के समाधानप्रद रूप में पूरा किया जाएगा ।

6. मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक की शक्तियां– मुख्य विद्युत निरीक्षक और विद्युत निरीक्षक को, अपने क्षेत्र में संकर्म और विद्युत प्रतिष्ठापनों का, जिसके संबंध में, ऐसे किसी निरीक्षक को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निदेशित कर दिया गया है, निरीक्षण करने की शक्तियां होंगी ।

7. प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां--ऊपर नियम 6 में यथानिर्दिष्ट निरीक्षण करने के लिए–

(1) निरीक्षक, किसी स्थान, वाहन या यान में, जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें उत्पादन, पारेषण, परिवर्तन, संपरिवर्तन, वितरण या ऊर्जा में उपयोग किया जाने वाला कोई साधित्र या उपस्कर है, प्रवेश, निरीक्षण और जांच कर सकेगा तथा उसका परीक्षण कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक प्रदायकर्ता, उपभोक्ता, स्वामी और अधिभोगी किसी ऐसे निरीक्षक को, ऐसी परीक्षा और परीक्षण करने के लिए, जो उसका समाधान करने के लिए आवश्यक हो, सभी युक्तियुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जो अधिनियम की धारा 53 के अधीन प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा विनियमों के सम्यक अनुपालन में आवश्यक हो । भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (अब निरसित) की धारा 37 के अधीन बनाए गए भारतीय विद्युत नियम, 1956, अधिनियम की धारा 53 के अधीन विनियम बनाए जाने तक प्रवृत्त बने रहेंगे ।

(3) कोई निरीक्षक, विद्युत के किसी प्रदायकर्ता से उसके द्वारा ऊर्जा प्रदाय किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची, वह पते जिस पर ऐसी ऊर्जा प्रदाय की जाती है, संबंध सेवाओं का मास, प्रदाय

की वोल्टता, संबंधित लोड और प्रदाय का प्रयोजन पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा प्रदायकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन केन्द्र का प्रत्येक स्वामी यदि किसी निरीक्षक द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी परीक्षण करने के लिए यथास्थिति, साधित्रों, प्रदाय के लिए उपयोग किए गए उपस्करों या उसके द्वारा ऊर्जा के उपयोग के साधित्रों के युक्तियुक्त साधन उपलब्ध कराएगा ।

(5) ऐसे निरीक्षण पर, निरीक्षक प्ररूप क में ऐसे निरीक्षण की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता, स्वामी या अधिभोगी पर किसी विनिर्दिष्ट विनियम का अनुपालन करने की मांग करते हुए आदेश की तामील कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति, जिसको आदेश की तामील की गई है, तदुपरि उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश का पालन करेगा और उसमें उल्लिखित आदेश की तामील करने वाले निरीक्षक को लिखित में यह रिपोर्ट करेगा कि आदेश का अनुपालन कब किया गया है :

परन्तु यदि उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अपील उस व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसे आदेश की तामील की गई है, आदेश के विरुद्ध फाइल की जाती है तो अपील प्राधिकारी अपील के विनिश्चय के लिए निलंबनाधीन उसके प्रवर्तन को निलंबित कर सकेगा ।

8. अपील-(1) इन नियमों के अधीन तामील किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील-

(क) यदि आदेश की किसी विद्युत निरीक्षक द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक को तामील की जाती है ;

(ख) यदि आदेश की किसी मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा केन्द्रीय सरकार को तामील की जाती है ;

तो अपील की जाएगी ।

(2) मुख्य विद्युत निरीक्षक के किसी आदेश की दशा में, उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन उसे की गई किसी अपील पर, केन्द्रीय सरकार को आगे अपील की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील लिखित में होगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति लगी होगी जिसके विरुद्ध अपील की जाती है और ऐसे आदेश की तारीख से, जिसको यथास्थिति, ऐसे आदेश की तामील या परिदान कर दिया गया है, तीन मास के भीतर की जाएगी ।

(4) किसी अपील का निपटान अपील की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर किया जाएगा ।

6

प्ररूप क

आदेश का प्ररूप

प्रेषित

1. प्रतिष्ठापन का तारीख..... को निरीक्षण किया गया और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 162 की धारा 1 के अधीन बनाए गए नियमों और धारा 53 के अधीन बनाए विनियमों का निम्नलिखित के संबंध में अर्थात .....(जहां आवश्यक हो विशिष्टियां दी जाएंगी) और इसके द्वारा आपसे उक्त नियमों/विनियमों के तारीख ..... को या उससे पूर्व अनुपालन करने और मुझे लिखित में अनुपालन की रिपोर्ट करने की मांग की जाती है ।

कोई अपील उपर्युक्त नियमों के नियम 8 के अधीन इस आदेश के विरुद्ध उस तारीख से जिसको इस आदेश की तामील या परिदान किया जाता है, तीन मास के भीतर फाइल की जा सकेगी किंतु इस आदेश का अनुपालन, ऐसी अपील के होते हुए भी जब तक अपील प्राधिकारी ऊपर पैरा में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व इसके प्रवर्तन को निलंबित नहीं कर देता है, होना चाहिए ।

तारीख .....

हस्ताक्षर

मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक

[फा. सं. 23/3/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

2512 GI/06-2